सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 1078 आ.न.यो/9-8-2013

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, न.पा.प.-शाहगंज, न.प.-खेतासराय जनपद-जौनपुर,
अधिशासी अधिकारी, न.पा.प.-बिल्सी, जनपद-बदायूं।
अधिशासी अधिकारी, न.पा.प.-ठाकुरद्वारा, न.प. भोजपुर धर्मपुर, ऊमरीकला, कुन्दरकी, जनपद-मुरादाबाद।
अधिशासी अधिकारी, न.पा.प.-बेल्हा, जनपद-प्रतापगढ़।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-जमानियां, न.प.-जंगीपुर, सादात, जनपद-गाजीपुर।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.- घाटमपुर, जनपद- कानपुर नगर।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-मुगलसराय, न.प. चकिया, जनपद-चन्दौली।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-नबाबगं ज, कर्नलगंज जनपद-गोण्डा।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-अनूपशहर, डिबाई, न.प. खानपुर, छतारी जनपद-बुलन्दशहर।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-सोनभद्र, न.पं. चुर्कधुर्मा, घोरावल, ओबरा जनपद-सोनभद्र।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-मुबारकपुर, न.प. मेहनगर, बिलियागंज जनपद-आजमगढ़।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.- धनौरा, न0प.-जोया जनपद-अमरौहा।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.- आंवला, न.प. रिछा, जनपद-बरेली।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-धामपुर, न.प. साहनपुर, झालू, जलालाबाद जनपद-बिजनौर।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.- मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-गंगोह, न.प. अम्बेहटा, सुल्तानपुर चिलकाना, जनपद-सहारनपुर।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-कैराना, न.प. थानाभवन, ऊन, जलालाबाद जनपद-शामली।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-गोपीगंज, न.प. घोसिया, ज्ञानपुर संतरविदास नगर।
अधिशासी अधिकारी ,न.पा.प.-फतेहपुर सीकरी, न.पं.-फतेहाबाद, पिनाहट जनपद-आगरा।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-पाली, तालबेहट जनपद-ललितपुर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- शमशाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- सिसौली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, शाहपुर, भोकरहेडी जनपद-मुजफ्फरनगर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-रोजा, खुदागंज जनपद-शाहजहांपुर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-लार, मझौलीराज, जनपद-देवरिया।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-जैतपुर, सुबेहा,देवा, टिकैतनगर, बंकी, दरियाबाद, रामनगर, सिद्धौर जनपद-बाराबंकी।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- अछल्दा जनपद-औरैया।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-टीकरी, दोघट, छपरौली, खेकडा जनपद-बागपत।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- झींझक, शिवली, रूरा, अकबरपुर, रसूलाबाद जनपद-कानपुर देहात।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-सिंगाही भिडौरा, मैलानी, खीरी जनपद-खीरी।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-महावन, राधाकुण्ड, फरह, बल्देव, छाता, सौंख, चौमुहां, जनपद-मथुरा।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-महोली, हरगांव, तम्बौर अहमदाबाद जनपद-सीतापुर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-औरास, फतेहपुर चौरासी, भगवन्तनगर, रसूलाबाद, ऊगू, मोरावां जनपद-उन्नाव।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- इकौना, भिनगा जनपद-श्रावस्ती।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- चायल जनपद-कौशाम्बी।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- भदरसा, जनपद-फैजाबाद।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- लालगंज जनपद-रायबरेली।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-अदरी, कोपागंज, दोहरीघाट जनपद-मऊ।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-किशनी, ज्योतिखुडिया, घिरोर जनपद-मैनपुरी।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-बहसूमा, हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-सरीला, गोहाण्ड, जनपद-हमीरपुर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.- हर्रैया, बभनान बाजार, जनपद-बस्ती।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-बहूआ, खागा, हथगांव जनपद-फतेहपुर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-नगर पचांयत-पिलखना, जट्टारी जनपद-अलीगढ़।

GO-ANy

अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-गोसाइगंज, जनपद-फैजाबाद।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-सिरसा, इलाहाबाद।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-जायस, जनपद-अमेठी।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-कप्तानगंज,कसया, हाटा, जनपद-कुशीनगर।
अधिशासी अधिकारी ,न. पं.-नगराम, मलिहाबाद, गोसाइगंज, अमेठी, इटौंजा, काकोरी जनपद-लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ:: दिनांक 25 जुलाई, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों को अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त जनपद की नगर पालिका परिषदों/नगर पचांयतों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजनाओं में से कार्यो का चयन करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है। निकायों से 50 प्रतिशत की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाना है। प्रदान की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का पूर्ण उपयोग किये जाने हेतु उपयोगिता अवधि दिनांक 31.3.2014 निर्धारित की गयी है।

2. अतः निकायों से अनुरोध है कि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत किये गये कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शीध्रतिशीघ्र अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकें तथा स्वीकृत किये गये समस्त कार्यो को निकायों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किया जा सके।

3. निकायों से यह भी अनुरोध है कि **कृपया प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते समय इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय कि जिन निकायों को जिन कार्यो को कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है वह समस्त कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि)नियमावली की धारा-14 से आच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है,"।**

4. यह भी उल्लेखनीय है कि जनहित से जुडे अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य कराया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। अतः प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है

भवदीय,
23/7/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

GO-ANy